

05 से 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल के माइनिंग उद्योगों हेतु आवेदन के साथ दी जाने वाली जानकारी हेतु चेक लिस्ट

1. कैटेगिरी – मेजर/माइनर मिनरल
2. खदान क्षेत्रफल – 5 से 25 हेक्टेयर
3. खदान प्रारंभ होने की तिथि
4. क्षमता विस्तार/खनि पट्टा वैधता
5. पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिसूचना 1994, 1997 के प्रावधानुसार पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं ।
6. ई. आई. ए. रिपोर्ट की प्रति ।
7. इंवायरमेन्टल मेनेजमेन्ट प्लान की प्रति ।
8. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत /स्थानीय निकाय/संस्था का अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
9. कुल पूजी वेष्टन ग्रास ब्लाक हेतु प्रमाणित दस्तावेज ।
10. खदान का ले-आऊट प्लान व इसके सापेक्ष में प्रस्तावित खदान स्थल से 05 किलोमीटर की त्रिज्या परिधि के संवेदनशील आवासीय क्षेत्र, नदी, आरक्षित वनों, रेल्वे लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि की नक्शे में स्थिति व जानकारी ।
11. म. प्र. शासन खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत खनिपट्टा आदेश की सत्यापित प्रति एवं उपलब्ध भूमि क्षेत्र, वन भूमि, वृक्षारोपण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूमि की जानकारी ।
12. माइनिंग से उत्पन्न निस्त्राव एवं घरेलू दूषित जल उपचार व्यवस्था का प्रस्ताव एवं उपचारित दूषित जल के पुर्नउपयोग का प्रस्ताव ।
13. प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी, ड्रिलिंग, हैण्डलिंग प्लांट, लोडिंग-अनलोडिंग परिवहन एवं अन्य माइनिंग प्रक्रिया से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु विद्यमान / प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी एवं फ्यूजिटिव वायु उत्सर्जन रोकने के उपाय ।
14. खदान की स्थापना से वृक्षों को होने वाली संभावित क्षति की तथा क्षतिपूर्ति हेतु खदान प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण का प्रस्ताव ।
15. भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लॉन एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की प्रति ।
16. माइनिंग के बाद उत्खनित क्षेत्र की रिकलेमेशन हेतु प्रस्ताव एवं माइंस के धसकने रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था की जानकारी ।

05 से 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल के माइनिंग उद्योगों हेतु आवेदन के साथ दी जाने वाली जानकारी हेतु चेक लिस्ट

1. कटेगिरी – मेजर/माइनर मिनरल
2. खदान क्षेत्रफल – 25 हेक्टेयर से अधिक ।
3. खदान प्रारंभ होने की तिथि
4. क्षमता विस्तार/खनिज वैधता
5. पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिसूचना 1994, 1997 के प्रावधानुसार पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं ।
6. ई. आई. ए. रिपोर्ट की प्रति ।
7. इंवायरमेन्टल मेनेजमेन्ट प्लान की प्रति ।
8. ग्राम सभा द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत /स्थानीय निकाय/संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
9. कुल पूजी वेष्टन ग्रास ब्लाक हेतु प्रमाणित दस्तावेज ।
10. खदान का ले-आऊट प्लान व इसके सापेक्ष में प्रस्तावित खदान स्थल से 05 किलोमीटर की त्रिज्या परिधि के संवेदनशील आवासीय क्षेत्र, नदी, आरक्षित वनों, रेल्वे लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि की नक्शे में स्थिति व जानकारी ।
11. म. प्र. शासन खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत खनिपट्टा आदेश की सत्यापित प्रति एवं उपलब्ध भूमि क्षेत्र, वन भूमि, वृक्षारोपण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूमि की जानकारी ।
12. माइनिंग से उत्पन्न निस्त्राव एवं घरेलू दूषित जल उपचार व्यवस्था का प्रस्ताव एवं उपचारित दूषित जल के पुनर्उपयोग का प्रस्ताव ।
13. प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी, ड्रिलिंग, हैण्डलिंग प्लांट, लोडिंग-अनलोडिंग परिवहन एवं अन्य माइनिंग प्रक्रिया से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु विद्यमान / प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी एवं फ्यूजिटिव वायु उत्सर्जन रोकने के उपाय ।
14. खदान की स्थापना से वृक्षों को होने वाली संभावित क्षति की तथा क्षतिपूर्ति हेतु खदान प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण का प्रस्ताव ।
15. भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लॉन एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की प्रति ।
16. माइनिंग के बाद उत्खनित क्षेत्र की रिकलेमेशन हेतु प्रस्ताव एवं माइंस के धसकने रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था की जानकारी ।
17. 25 हेक्टेयर से अधिक खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्रफल की खदान ई. आई. ए. अधिसूचना 1994, 1997 के प्रावधानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति के दायरे में आती है तो 20-20 प्रतियों में कार्यपालक सार, ई. आई. ए. रिपोर्ट के साथ लोक सुनवाई सम्पन्न कराना होगी ।
18. ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के लागू होने के पूर्व से संचालित खदानों के खदान प्रारंभ तिथि से वर्षवार उत्पादन के आँकड़े ।